इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015—माघ 27, शक 1936

वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. एफ. 3-76-2008-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,-

(1) अनुसूची-दो के कॉलम (5) के सरल क्रमांक 9 में उल्लेखित पद ''डार्क रूम सहायक'' के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत में जोडी जाएं, अर्थात् :—

विभाग का	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता				
नाम		की संख्या	प्रतियोगिता परीक्षा	सेवा के सदस्यों की	अन्य सेवाओं के सदस्यों		
			के माध्यम से सीधी	पदोन्नति द्वारा (नियम	के स्थानांतरण अथवा		
			भर्ती द्वारा (नियम	6 (ख) देखिये)	प्रतिनियुक्ति द्वारा		
			6 (क) देखिये)		(नियम 6 (ग) देखिये)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
वन	10. मुख्य महावत	14	_	100	***************************************		
	11. महावत	35	_	100			

(2) अनुसूची-चार में, पद ''उप वन क्षेत्रपाल'' के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में उल्लिखित पद पर सेवा की न्यूनतम अवधि	पदोन्नति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	विशेष अभ्युक्ति
<u>(1)</u> ਕਜ	(2) सहायक महावत	(3) महावत	(4)	(5) वरिष्ठता-सह- उपयुक्तता	(6) वन संरक्षक वृत स्तर पर पदोन्नित के लिए तीन सहायक वन संरक्षक से मिलकर बनने वाली समिति को नामनिर्दिष्ट करेगा.	(7) नियम 15(1) में उल्लिखित
	महावत	मुख्य महावत	12 वर्ष	वरिष्ठता-सह- उपयुक्तता	वन संरक्षक वृत स्तर पर पदोन्नित के लिए तीन सहायक वन संरक्षक से मिलकर बनने वाली समिति को नामनिर्दिष्ट करेगा.	नियम 15(1) में उल्लिखित

No. F-3-76-2008-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Class-III (Non-Ministrial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In Schedule-II as mentioned in column (5) after the serial No. 9. "Dark Room Assistant" the following posts and entries relating thereto shall be added at the end, namely:—

Name of	Name of	No. of	Percentage of the number of duty posts to be filled in			
Department	Service	duty post	By direct recruitment through competitive examination [see rule 6 (a)]	By promotion of members of service [see rule 6 (b)]	By transfer or deputation of persons from other services [see rule 6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Forest	10. Chief Mahavat	14	_	100	_	
	11. Mahavat	35		100	_	

(2)In Schedule-IV after the post "Deputy Ranger", the following post and entries relating thereto shall be added at the end, namely :-Special Name of Name of Name of Minimum Promotion Name of the Remarks Department Service or Service or period of procedure members of the post from service on or selection Departmental post to Promotion which which the post procedure Committee promotion promotion mentioned is to be is to be in column made made (2)(1) (4) (5) (6) \cdot (7) (2)(3) The Conservator of Mentioned Forest Assistant Mahavat Mahavat 10 Years Seniorityforests of a circle in rule cum-merit shall nominate a 15(1) committee of three Assistant Conservator of Forests for Promotion. Mahavat Chief Mahavat 12 Years Seniority-The Conservator of Mentioned forests of a circle in rule cum-merit shall nominate a 15(1)committee of three Assistant Conservator of Forests for

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

Promotion.